प्रेस नोट

दिनांक 05.09.2025

थाना जरिया पुलिस द्वारा अपहरण की घटना से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार।

दिनांक 04.09.2025 को ग्राम इटैलिया बाजा थाना जरिया निवासी पुनीत कुमार पुत्र प्रताप सिंह के द्वारा थाना उपस्थित जाकर दी गई तहरीर के माध्यम से बताया गया कि उनके भाई सुनील कुमार (उम्र करीब 19 वर्ष) को 1. वीर सिंह पुत्र गया प्रसाद राजपूत निवासी ग्राम इटैलिया बाजा थाना जरिया 2. उपेन्द्र पुत्र अज्ञात 3. विष्णु पुत्र अज्ञात 4. अशोक पुत्र अज्ञात 5. ऋषि पुत्र अज्ञात निवासीगण ग्राम गुढा थाना चरखारी जनपद महोबा द्वारा जबरन मोटरसाईकिल पर बैठाकर अपहरण कर लिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जरिया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 177/2025 धारा 140(3) भारतीय न्याय संहिता उपरोक्त नामजद अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था।

इसी क्रम मे आज दिनांक 05.09.2025 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 177/2025 धारा 140(3) भारतीय न्याय संहिता से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना जरिया पुलिस थाना क्षेत्र अन्तर्गत मामूर थी कि इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त घटना से सम्बन्धित अभियुक्तगण कछवाकला से उमरिया जाने वाले सर्विस रोड़ पर किलोमीटर 136.9 के पास मौजूद है। उक्त सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तो पुलिस टीम से घिरा देख अभियुक्तगण ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में विष्णु पुत्र सुरेश यादव उपरोक्त के दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली लगी व उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया जिसके पास से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा एवं 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया तथा घायल अभियुक्त को सी0एच0सी0 गौहाण्ड मेडिकल उपचार हेतु भेजा गया है व अन्य दो अभियुक्त उपेन्द्र पुत्र महेंद्र सिंह राजपूत व अशोक पुत्र वीर सिंह राजपूत निवासीगण ग्राम गुढा थाना चरखारी जनपद महोबा को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया तथा अन्य 02 अभियुक्त जो उनके साथ मौजूद थे वो मौके से भाग गए। आज हुई मुठभेड के सम्बन्ध में थाना जरिया जनपद हमीरपुर पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध (पुलिस मुठभेड) व आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

मयंक चंदेल थानाध्यक्ष जरिया
उ0नि0 रोहित यादव
उ0नि0 दिलीप श्रीवास्तव
मुख्य आरक्षी शिवेंद्र यादव
आरक्षी अभिनव सिंह
आरक्षी अभिषेक कुमार
आरक्षी रोहित वर्मा